उत्तर प्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग
संख्याः 558/2022/91-2022-09-2014
लखनऊ, दिनांक 28 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-2198/एक-14-2010-33(100)-2010 टी0सी0-III, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, (एक) क्रम संख्या-51 में, यू0पी0एस0आई0डी0 से संबंधित विद्यमान प्रविष्टि संख्या 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेगी,अर्थात:-

अनुसूची

क्र०सं०	विभाग का नाम	सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (यू0पी0 सीडा)	3- 25 एकड से अधिक के औद्योगिक भवन मानचित्र का अनुमोदन	क्षेत्रीय प्रबंधक	15 कार्य दिवस	प्रभारी ए0टी0पी0	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	30 कार्य दिवस

(दो) क्रम संख्या-102 की प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

अनुसूची

क्र०सं०	विभाग का नाम	सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील के निस्तारण हेतु नियत समय - सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (यू0पी0 सीडा)	अधिभोग/ कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र	क्षेत्रीय प्रबंधक	30 कार्य दिवस	प्रभारी ए0टी0पी0	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	30 कार्य दिवस

आज्ञा से,

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 558 /XCI-2022-09-2014, dated October 28 , 2022:

No. 558 /2022/XC1-2022-09-2014
Dated Lucknow, October 28 , 2022

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (UP. Act no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the following amendment in Government notification no. 2198/1-14-2010-33(100)-2010 TC-III, dated January 15, 2011 as amended from time to time.

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the Schedule:-

(i) In serial number 51, for existing entry number 3 pertaining to U.P.S.I.D.C. the following entries shall column-wise be substituted, namely:-

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Department	Service	Designated Officer	Stipulated time Limits for Services	First Appeal Officer	Stipulated time Limits for Disposal of First Appeal	Second Appellate Authority	Stipulated time Limits for Disposal of Second Appeal
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Infrastructure and Industrial Development Department (UPSIDA)	3- Industrial Building Map Approval for more than 25 acres	Regional Manager	15 working days	In-charge ATP	30 working days	Chief Executive Officer	30 working days

(ii) after entries at serial number 102, the following entries shall, column-wise be inserted, namely:-

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Department	Service	Designated Officer	Stipulated time Limits for Services	First Appeal Officer	Stipulated time Limits for Disposal of First Appeal	Second Appellate Authority	Stipulated time Limits for Disposal of Second Appeal
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	Infrastructure and Industrial Development Department (UPSIDA)	Occupancy/ Completion Certificate	Regional Manager	30 working days	In-charge ATP	30 working days	Chief Executive Officer	30 working days

By Order,

(K. RAVINDER NAIK),
Pramukh sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in